



केन्द्रीय मुहर विभाग – 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 8164

01 11 2024

विषय: IS 8164 : 2023 (रेन्फोर्सिंग के बिना अस्पताल रबड़ शीटिंग— विशिष्टि में संशोधन संख्या 1 का कार्यान्वयन)।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 8164 : 2023 में संशोधन संख्या 1 प्रकाशित हो चुकी है। IS 8164 : 2023 में संशोधन संख्या 1 के अनुपालन की अंतिम तिथि **10 अप्रैल 2025** है। सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 8164 : 2023 में संशोधन संख्या 1 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और **10 अप्रैल 2025** तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(हरीश मीना)
वैज्ञानिक-सी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2)

सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित
प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 8164

01 11 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 1 to Indian Standard 8164: 2023 (Hospital Rubber Sheeting Without Reinforcing Fabric — Specification)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 1 to IS 8164: 2023 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 1 to IS 8164: 2023 is **10 April 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **10 April 2025**

(Harish Meena)
Scientist C (CMD-2)

Head (CMD - 2)

**Circulated to: All licensees/applicants
Copy to: BIS Branch Offices**